

BPSC Agriculture Department Various Post 2024 Exam Pattern

4. चयन का आधार – लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर।

- (i) लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी-100 अंक (एक पत्र), सामान्य ज्ञान-100 अंक (एक पत्र) एवं संबंधित विषय-200 अंक (दो पत्र) = 400 अंकों का होगा। विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे:-

क्र. सं.	विषय	पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-18/2024 से 21/2024 तक के लिए हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
2.	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि-1 शब्द (Agronomy)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-18/2024 के लिए शब्द का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-1 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agronomy के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	

क्र. सं.	विषय	पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
4.	बिहार कृषि सेवा कोटि-2 कृषि अभियंत्रण (Agri. Engg.)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-19/2024 के लिए कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-2 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agri. Engg. के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
5.	बिहार कृषि सेवा कोटि-5 पौधा संरक्षण (Plant Protection)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-20/2024 के लिए पौधा संरक्षण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-5 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Plant Protection के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
6.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 कृषि विज्ञान	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-21/2024 के लिए कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-1 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agronomy के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	

- उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। सामान्य हिन्दी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक होगा।
- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374 दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक-01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौत्तीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (iii) लिखित परीक्षा में संबंधित विषय पत्र तथा सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 की कंडिका-10 के आलोक में साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुणा होगी। कोटिवार समान कट-ऑफ-अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा।
- (iv) साक्षात्कार :- लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।
- (v) लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।
- (vi) विज्ञापन संख्या-18/2024, 19/2024 एवं 20/2024 की मेधा सूची :- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के योग एवं समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गई कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी।

➤ चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

(क) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता - 75 अंक

(ख) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये

कार्य अवधि की अधिमानता - 25 अंक

(संविदा नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होगी)।

नोट:- संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28.01.2024 तक संविदा के आधार पर कार्य किये गये अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जायेगी।

➤ उदाहरणस्वरूप, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) का कुल पूर्णांक 550 है एवं कोई भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी इसके विरुद्ध 300 अंक प्राप्त करते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:-

$$\frac{300 \text{ (कुल प्राप्तांक)} \times 75}{550 \text{ (कुल पूर्णांक)}} + \text{प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक अधिमानता की अंक होगी।}$$

इस प्रकार 40.90 अंक + अगर कोई संविदा कर्मी नियमावली के अनुरूप 2 वर्ष समान पद पर कार्य किये हैं, तो 40.90+10=कुल 50.90 को उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर अधिमानता दी जायेगी।

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा संविदा के अधिमानता के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम

निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(vii) विज्ञापन संख्या-21/2024 की मेधा सूची लिखित एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अलग-अलग मेधा सूची तैयार की जायेगी। अंतिम मेधा सूची तैयार करने के क्रम में लिखित एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(viii) इस विज्ञापन के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।